

उपभोक्ता शिक्षा साहित्य

आय पहचान, संपत्ति वर्गीकरण और अग्रिम-स्पष्टीकरण से संबंधित प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंडों से संबंधित 12 नवंबर, 2021 और 15 फरवरी, 2022 की भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचनाओं के अनुपालन में, कंपनी ने उदाहरणों के साथ समझाते हुए निम्नलिखित उपभोक्ता शिक्षा साहित्य तैयार किया है। दिन के अंत की प्रक्रिया के विशिष्ट संदर्भ में अतिदेय तिथि, एसएमए और एनपीए वर्गीकरण और उन्नयन की अवधारणाएं। कंपनी यह भी सुनिश्चित करेगी कि उनके अग्रिम पंक्ति के अधिकारी/कर्मचारी सदस्य ऋणों की मंजूरी/वितरण के समय, उनके द्वारा लिए गए ऋणों के संबंध में, इन सभी अवधारणाओं के बारे में उधारकर्ताओं को शिक्षित करेंगे।

1. अतिदेय की तिथि : यदि कंपनी को देय कोई भी राशि ऋण के पुनर्भुगतान की नियत तिथि पर प्राप्त नहीं होती है, तो एक उधारकर्ता खाते को नियत तारीख के लिए उनकी दिन की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में कंपनी द्वारा अतिदेय के रूप में चिह्नित किया जाएगा। ऋण समझौते में निर्दिष्ट.

2. एसएमए विशेष उल्लेख खाता (वर्गीकरण : डिफॉल्ट होने पर तुरंत एक उधारकर्ता खाते को निरंतर अंतराल पर विभिन्न उप श्रेणियों के तहत एसएमए) विशेष उल्लेख खाता (के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। एसएमए के रूप में उधारकर्ता खाते का वर्गीकरण प्रासंगिक नियत तारीख के लिए दिन के अंत की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में किया जाएगा और एसएमए श्रेणियों के वर्गीकरण का आधार इस प्रकार होगा:

क्र.सं.	एसएमए उप-श्रेणियाँ	वर्गीकरण का आधार - मूलधन या ब्याज भुगतान या कोई भी अन्य राशि पूर्णतः या आंशिक रूप से अतिदेय
1.	एसएमए-0	3दिन तक
2.	एसएमए-1	230दिन से अधिक और 60 दिन तक
3.	एसएमए-2	60दिन से अधिक और 90 दिन तक

3. एनपीए गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (वर्गीकरण : किसी उधारकर्ता खाते का एनपीए के रूप में वर्गीकरण प्रासंगिक नियत तारीख के लिए दिन के अंत की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में किया जाएगा और वर्गीकरण का आधार इस प्रकार होगा:

क्रम

क्र.सं.	श्रेणी	वर्गीकरण का आधार - मूलधन या ब्याज भुगतान या कोई अन्य राशि पूर्ण या आंशिक रूप से अतिदेय
1.	एनपीए	90दिन से अधिक

नोट : दूसरे शब्दों में, एसएमए/एनपीए की तारीख उस कैलेंडर तिथि के दिन के अंत में उधारकर्ता खाते की परिसंपत्ति वर्गीकरण स्थिति को दर्शाएगी।

4. एनपीए के रूप में वर्गीकृत खातों का उन्नयन :एनपीए के रूप में वर्गीकृत एक ऋण खाते को 'मानक' संपत्ति के रूप में तभी अपग्रेड किया जाएगा, जब ब्याज और मूलधन का पूरा बकाया उधारकर्ता द्वारा भुगतान किया जाता है। यदि किसी उधारकर्ता के पास कंपनी के साथ एक से अधिक ऋण खाते हैं, तो सभी ऋण खातों से संबंधित ब्याज और मूलधन की संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान करने पर ही ऋण खाते को एनपीए से मानक परिसंपत्ति श्रेणी में अपग्रेड किया जाएगा। यह प्रावधान 01 अक्टूबर, 2022 से लागू किया जाएगा।

5. एसएमए) विशेष उल्लेख खाता (और एनपीए) गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (के रूप में एक उधारकर्ता खाते के वर्गीकरण का उदाहरण :यदि किसी ऋण खाते की देय तिथि 31 मार्च, 2021 है, और कंपनी के संचालन दिवस से पहले पूरा बकाया प्राप्त नहीं होता है -इस तिथि के लिए अंतिम प्रक्रिया, अतिदेय की तिथि 31 मार्च, 2021 होगी। यदि यह अतिदेय बनी रहती है, तो इस खाते को 30 अप्रैल, 2021 को दिन-अंत प्रक्रिया चलाने पर यानी 30 के पूरा होने पर एसएमए- 1 के रूप में टैग किया जाएगा। लगातार विलंबित होने के दिन। तदनुसार, उस खाते के लिए एसएमए-1 वर्गीकरण की तारीख 30 अप्रैल, 2021 होगी।

इसी प्रकार, यदि खाता अतिदेय बना रहता है, तो इसे 30 मई, 2021 को दिन के अंत की प्रक्रिया चलाने पर एसएमए- 2 के रूप में टैग किया जाएगा और यदि यह आगे भी अतिदेय बना रहता है, तो इसे दिन के अंत की प्रक्रिया चलने पर एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। 29 जून 2021 को